न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 01/2024

अपीलांटः– सज्जन सिंह भाटी पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत,निवासी लीलरीया धोरा वार्ड संख्या 02 बाड़मेर, हाल आशीयाना अमरबाग पाली रोड कुडी जोधपुर

राज्य लोक सूचना अधिकारी 1. तहसीलदार बायतु 2. उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आदेश

दिनांक 21.02.2024

अपीलार्थी सज्जन सिंह भाटी पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत,निवासी लीलरीया धोरा वार्ड संख्या 02 बाडमेर, हाल आशीयाना अमरबाग पाली रोड कुडी जोधपुर ने यह प्रथम अपील उतरदाता 1. तहसीलदार बायतु 2 उपखण्ड अधिकारी बायतु के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 18.01.2024 को पस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय पोस्टल ऑर्डर 990876 की प्रति दिनांक 30.10.2023 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बायतु एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को न तो उपस्थित हुए और न ही जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना में संदर्भित पत्रों का पूर्ण विवरण दिया गया है, इसके बावजूद अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना यथासमय उपलब्ध नहीं करवाई है जो उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेकर्ड की यथा उपलब्धता अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सूचित किया जाकर प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 21.02.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा